

संदर्भ संख्या 1643-1649 /यूपीसीडा/एटीपी/का0आ0 दिनांक 14.12.2023

कार्यालय आदेश

यूपीसीडा के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन, 2004 के अनुच्छेद 3.3.2 के अन्तर्गत संविलियत/उप विभाजित किये जाने वाले भूखण्डों हेतु आवंटी के प्रस्ताव को दो समाचार पत्रों एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी समाचार पत्र, जो widely circulated हो, में क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालय द्वारा आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जायेगी, विज्ञापन के प्रकाशन पर होने व्यय की प्रतिपूर्ति आवंटी से की जायेगी। विज्ञप्ति प्रकाशन की सूचना प्रभारी-कम्प्यूटर, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराया जाना होगा।

आपत्ति/सुझाव निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने की दशा में संविलियत/उप विभाजित भूखण्डों की सैद्धान्तिक स्वीकृति को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा तथा मुख्यालय को सूचित करेंगे। निर्धारित अवधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने की दशा में उनको संकलित करते हुए व समाचार पत्रों की प्रति एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रेषित की जायेगी।

एटीपी अनुभाग, मुख्यालय द्वारा स्वीकृत संविलियन/उप विभाजन को सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र के तलपट मानचित्र में समायोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।



(मयूर माहेश्वरी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ संख्या 1643-1649/यथोक्त।

दिनांक 14.12.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए/पी/एस), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
3. वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक (वास्तु0/नियो0) को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0.....
5. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0.....।
6. प्रभारी (कम्प्यूटर), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि आदेश को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. श्री हर्ष मिस्त्री/सुश्री दीर्घा, सलाहकार, मेसर्स डिलॉइट टुश तोहमात्सू इण्डिया को इस आशय से प्रेषित कि साफ्टवेयर में उपरोक्तानुसार प्रावधान समाहित कराने हेतु।



(मयूर माहेश्वरी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

o/c

